

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(ग्रुप-2)

क्रमांक:प.8(5)विधि-2/2010/429


जयपुर, दिनांक: 03.02.2017

आज्ञा

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित अधिनियम, 2002) की धारा 22 (बी) के अधीन जनोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालतों में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंसानुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित न्यायक्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के कार्यरत सदस्यों के स्थान पर संबंधित न्यायक्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख जिले के लिए गठित स्थाई लोक अदालत में 02 वर्ष की अवधि के लिए, सदस्य नियुक्त किये जाने हेतु मनोनयन का एतद्द्वारा अनुमोदन किया जाता है:-

क्र.सं.	जिला/न्यायक्षेत्र	प्रस्तावित व्यक्ति का नाम
01.	अलवर	श्री तारा सिंह, अधिवक्ता
02.	भीलवाड़ा	श्री प्रहलाद राय व्यास, अधिवक्ता
03.	बीकानेर	श्री दयाराम गोदारा, से.नि. आर.एच.जे.एस.
04.	बूँदी	श्री राज कुमार दाधीच, अधिवक्ता
05.	चित्तौड़गढ़	श्री नरेन्द्र सिंह पंवार
06.	डूंगरपुर	श्री प्रकाश पटेल, अधिवक्ता
07.	जयपुर महानगर	श्री रमाशंकर वशिष्ठ, अधिवक्ता
08.	जयपुर जिला	श्री रमेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता
09.	जालौर	श्री गणेश सिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता
10.	झालावाड	श्री ओंकारेश्वरम शर्मा, अधिवक्ता
11.	राजसमंद	श्री भरत कुमार दक, सामाजिक कार्यकर्ता
12.	सवाईमाधोपुर	श्रीमती नीलम गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता
13.	सिरोही	श्री गणपत सिंह देवड़ा, से.नि. जिला शिक्षा अधिकारी
14.	उदयपुर	श्री बृजेन्द्र सेठ, अधिवक्ता
15.	कोटा	श्री अजय पारिक, अधिवक्ता
16.	जैसलमेर	1. श्री मुरलीधर जोशी, अधिवक्ता 2. श्री ओमप्रकाश वासू, अधिवक्ता

आज्ञा से,

  
(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. मनोनीत सदस्यगण जरिये सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया (विधि), राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



(लक्ष्मण सिंह राठौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि  
(विधि रचना संगठन)